न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 09/23 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/38

उनवान

1. विजय उर्फ राजू उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व0 केशवदेव जाति ब्राहम्ण निवासी बाडी वर्तमान पता आनन्द नगर सैपऊ रोड धौलपुर।
2. पवन उर्फ गुड्डू उम्र 42 साल पुत्र स्व0 केशवदेव } जाति ब्राहम्ण नि0 महाराज बाग बाडी
3. माया देवी पत्नी उम्र 72 साल स्व0 केशवदेव }
4. मिथलेश उम्र 62 साल पुत्री स्व0 केशवदेव पत्नी रामसेवक जाति ब्राहम्ण निवासी दमली कायस्थ पाडा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
5. शशि उम्र 59 साल पुत्री स्व0 केशवदेव पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सैंथरा वर्तमान पता ईदगाह कौलोनी बापू नगर भरतपुर।
6. रजत शर्मा उम्र 32 साल
7. देवास शर्मा उम्र 30 साल
8. रिषभ शर्मा उम्र 26 साल
9. शिवानी शर्मा उम्र 24 साल } पुत्र एवं पुत्री स्व0 राजकुमार जाति ब्राम्हण निवासी कसाई पाडा मस्जिद के सामने धौलपुर तह0 व जिला धौलपुर।
10. वैष्णवी उम्र 28 साल पुत्री स्व0 राजकुमार पत्नी योगेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हाउसिंग बोर्ड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ध्रुव उर्फ बब्बल पुत्र स्व0 रामबाबू जाति ब्राहम्ण निवासी माता मन्दिर के पीछे महाराज बाग बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. वन्दना पुत्री स्व0 रामबाबू पत्नी हरीचरन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 31/41 हीरो की चक्की के पीछे अंजनी नगर कौलोनी हिण्डौन रोड मासलपुर चुंगी के पास करौली जिला करौली।
3. अर्चना शर्मा पुत्री स्व0 रामबाबू पत्नी उमाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी बौहरे वाली गली औरंगाबाद जिला मथुरा।
4. रमेश दीक्षित पुत्र दीपचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बाडी तहसील बाडी ।
5. प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 19.10.2022 प्र0स0 43/15 उनवान रामबाबू बनाम केशव।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री योगेश शर्मा उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 29.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 के पूर्व पुरूष की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एक वाद 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा बाडी तहसील बाडी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी आपस में खास भाई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व संवत 2010 में प्रतिवादी/अपीलाण्ट के पूर्वज बालिग थे तथा वादी रैस्पो0 नाबालिग थे। विवादित आराजी के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज हरप्रसाद, बूचीराम थे। कुछ आराजी को वादी के पूर्वजो ने शिकमी काश्त पर लिया था जिसे वह काश्त करते रहे व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे तथा शामिल रहते थे। बडे पुत्र एवं कर्ताखानदान होने की वजह से विवादित आराजी सम्पूर्ण प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम आ गयी। उक्त गलत इंद्राजो के बल पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में वादी/रैस्पो0 के खातेदारी अधिकारो से मना कर रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट का वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 से आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि दीपचन्द के तीन पुत्र रामबाबू, रमेश, व केशव हुये। अधीनस्थ न्यायालय में रामबाबू ने विवादित आराजी को उनके पिता द्वारा तत्कालीन खातेदारान से शिकमी पर लेना व स्वयं को नाबालिग होना कथन करते हुये दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना ही वादी रैस्पो0 का दावा खसरा नम्बर 5825 रकवा 02 बीघा 5 विस्वा पर डिक्री कर दिया एवं शेष खसरा नम्बरो बाबत् खारिज कर दिया। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। पूर्व में एक दावा किया जिसमें संशोधन से खातेदारी अधिकारो का स्त्रोत बदलने की कोशिश की, परन्तु संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज हो गया, बाद में रैस्पो0 ने उक्त दावे को वापस ले लिया तथा एक नया दावा विवादित आराजी को पूर्वजो की बताते हुये, आंशिक डिक्री करा लिया। विवादित आराजी शुरू से ही अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1978 पेज 27, 1989 पेज 218, 1996 पेज 319, 2002 पेज 589 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं बचती है। केशव, रमेश, रामबाबू तीनो भाई हैं। नामांतकरण संख्या 755 शिकमी के आधार पर

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

केशवदेव के नाम खोला गया। उस समय रामबाबू व रमेश नाबालिग थे। विवादित आराजी पर काश्त तीनो भाईयो की दर्ज हो रही है खसरा नम्बर 4637/2 पर एवं खसरा नम्बर 4657 पर बशरह सदर का अंकन है। केशवदेव अध्यापक थे। अकेले काश्त करना संभव ही नहीं है। अपीलाण्ट ने एक भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसमें मीर सज्जाद हुसैन का नाम हो। आदेश 23(1) में न्यायालय से आज्ञा लेकर दावा पेश किया। विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है। अतः सभी खसरा नम्बरो में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं डिक्री वाली अपील खारिज की जावें एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पो0 का दावा आंशिक तौर पर खसरा नम्बर 5825 रकवा 02 बीघा 5 विस्वा पर तो स्वीकार कर लिया एवं शेष खसरा नम्बर बाबत् खारिज कर दिया। प्रतिवादी अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजी के शुरू से ही उनके पिता केशवदेव शिकमी रहे हैं एवं बाद में उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता ही का कब्जा काश्त रहा है एवं उनके पश्चात् बतौर वारिसान अपीलाण्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक खसरा नम्बर 5825 पर रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार देने में त्रुटि की है। रैस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है। अतः सभी खसरा नम्बरो पर रैस्पो0 को बहिस्सा बराबर का खातेदार दर्ज करना चाहिये था जो नहीं किया गया है। अतः रैस्पो0 को सभी खसरा नम्बरो पर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबन्दी संवत 2013–16 में पूर्व खसरा नम्बर 4637/2 पर बतौर खातेदार बूचीराम व बलवंत पिसरान पुन्नी अंकित है तथा काश्तकार के रूप में केशव का नाम संवत 2011 से अंकित है तथा प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी संवत 2021–24 में खसरा नम्बर 4637/2 पर केशवदेव के साथ– साथ रामबाबू व रमेशचन्द के नाम का अंकन संवत 2018 से अंकित है एवं नीचे खसरा नम्बर 4647 पर बशरह सदर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने साविक खसरा नम्बर 4637/2 पर तो वादी रैस्पो0 को खातेदारी दे दी। प्रश्न यह है कि साविक खसरा नम्बर 4647 पर वशरह सदर अंकित होने के कारण उक्त साविक खसरा नम्बर में भी अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी दी जानी चाहिये थी, जो नहीं दी गयी है। दूसरा पहलू यह है कि अधीनस्थ न्यायालय नें वादी रैस्पो0 को जमाबन्दी संवत 2021–24 में उपकृषक की टीपन तीनो भाईयो के नाम अंकन होने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जबकि उक्त रिकार्ड में विवादित आराजी केशवदेव के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं तीनो भाई उपकृषक थे प्रश्न यह आता है कि विवादित आराजी के बूचीराम बलवंत तो कभी खातेदार रहे ही नहीं एवं केशव भाई से विवादित आराजी शिकमी काश्त पर लेना वादी रैस्पो0 ने अपने वाद पत्र की प्लीडिंग में कही उठाया नहीं तो क्या अधीनस्थ न्यायालय प्लींडिग से बाहर जाकर निर्णय पारित कर सकती है। तीसरा पहलू यह है कि वादी रैस्पो0 हरप्रसाद/बूचीराम/प्यारेलाल को अपना पूर्वज बताते हैं। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट की जिरह में वह इन तीनो का रिश्ता क्या था, पिता का नाम क्या था, बच्चे कौन–कौन थे, तीनो का सिजरा आगे क्या चला आदि कुछ नहीं बता पाये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एक ही जमांबन्दी संवत 2021–24 में विवादित आराजी पर तीनो भाईयो की काश्त होना माना जाकर वादी रैस्पो0 का दावा आंशिक डिक्री कर दिया एवं शेष बाबत् खारिज कर दिया, परन्तु शेष खसरा नम्बरो बाबत् कौन– कौन सी जमाबन्दी में क्या अंकन रहे एवं वादी रैस्पो0 किस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान पर अपना दावा सिद्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं कर पाये हैं, बाबत् कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिअनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर